

पीएम-किसान योजना हेतु चेहरा प्रमाणीकरण

प्रलिस के लिये:

[पीएम-किसान योजना](#), [भाषिनी](#), [UIDAI](#), [केंद्रीय कषेत्रक योजना](#), [NIC](#)

मेन्स के लिये:

पीएम-किसान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता और पहुँच बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री-किसान एप में चेहरा प्रमाणीकरण/फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शुरू किया है।

- किसानों को उनकी मूल भाषा में जानकारी प्रदान करने हेतु [प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि](#) (PM-KISAN) भी [भाषिनी](#) के साथ एकीकृत हो रही है।
- भाषिनी भाषाओं हेतु सरकार का राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों हेतु सेवाओं एवं उत्पादों को बढ़ाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा।

प्रमुख बडि

- परचिय:**
 - फेस ऑथेंटिकेशन/चेहरा प्रमाणीकरण वशिषता आधार से संबंधित जानकारी रखने वाले [भारतीय वशिषिट पहचान प्राधिकरण](#) (UIDAI) के आईरसि डेटा का उपयोग करती है।
 - मंत्रालय ने इस सुविधा तक पहुँच प्राप्त करने के लिये UIDAI के साथ मलिकर काम किया, जिससे इसकी सटीकता और वशिषसनीयता सुनिश्चित की जा सकी।
- लाभ:**
 - बेहतर पहुँच:** चेहरा प्रमाणीकरण में भौतिक बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे किसान अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
 - मोबाइल-आधार लकिज मुद्दों का हल:** चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग से उन किसानों को समायोजित किया जा सकता है जिनके मोबाइल नंबर उनके आधार से नहीं जुड़े हैं, इस प्रकार यह सभी पात्र लाभार्थियों के लिये एक आसान प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
 - बुजुर्ग किसानों के लिये सरलीकृत प्रक्रिया:** यह नई सुविधा बुजुर्ग किसानों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को दूर करती है, अब उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिये नरिदषिट केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

पीएम-किसान:

- परचिय:**
 - इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान कसितों में सीधे प्रत्येक भूमिधारक किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित करती है चाहे उसकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।
 - इस योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- वत्तिपोषण और कार्यान्वयन:**
 - यह भारत सरकार के 100% वत्तिपोषण के साथ एक [केंद्रीय कषेत्रक योजना](#) है।
 - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- लाभार्थी की पहचान:**
 - लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है।

■ उद्देश्य:

- प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशति कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये वभिन्न आदानों की खरीद हेतु छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।
- उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिये साहूकारों के प्रभाव से बचाना और कृषिगतविधियों में उनकी नरिंतरता सुनिश्चित करना।

■ पीएम-किसान मोबाइल एप:

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा PM-KISAN मोबाइल एप विकसित और डज़ाइन किया गया है।
- किसान अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, अपने आधार कार्ड को अपडेट या सुधार कर सकते हैं और अपने बैंक खातों में क्रेडिट का लेखा भी देख सकते हैं।

■ अब तक की उपलब्धियाँ:

- देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों ने PM-किसान योजना का लाभ प्राप्त किया है, जो इसकी व्यापक पहुँच और प्रभाव को दर्शाता है।
- इस योजना में 3 करोड़ से अधिक महिला किसानों को शामिल किया गया है, जो कृषि क्षेत्र में लैंगिक समावेशिता और महिला सशक्तीकरण पर इसके प्रभाव को प्रदर्शति करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरकित्ता या अधविस के प्रमाण के रूप में कथिा जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्त्ता प्राधकिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयिों की पहचान को सुरकषति और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणति करने में मदद करता है, जसिसे सेवा वतिरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरकित्ता का प्रमाण नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मकित्ताओं का एक सेट भी प्रकाशति कथिा है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृतिके लिये उत्तरदायी है। मश्रति या वषिम बायोमेट्रिकि जानकारी वाला आधार नषिक्रयि कथिा जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कथिा जा सकता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस